

गैंगेस्टर एक्ट का वांछित शातिर अपराधी गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों की रोकथाम व वांछित/गैंगेस्टर के अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में व पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के कुशल पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी राजेन्द्र सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर की टीम द्वारा थाना राजघाट गोरखपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 340/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अपराधी अनिल कुशवाहा पुत्र प्रसाद कुशवाहा निवासी तुर्कमानपुर पटवारी टोला थाना राजघाट गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अनिल कुशवाहा पुत्र प्रसाद कुशवाहा निवासी तुर्कमानपुर पटवारी टोला थाना राजघाट गोरखपुर।

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 340/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

अभियुक्त अनिल कुशवाहा का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 188/19 धारा 419,420,467,468,471,506 भादसं थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 156/18 धारा 419,420,467,468,471,506,107,120बी भादसं थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 186/19 धारा 419,420,467,468,471,506,120बी भादसं थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 340/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-थानाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह थाना राजघाट गोरखपुर
- 2-उ0नि0 दिग्विजय सिंह परमार थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 3-उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार मिश्रा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 4-का0 देवेन्द्र यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 5-का0 अशोक यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 6-का0 दीपक कुमार यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।